



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञप्ति

दिनांक: 4-3-2010

राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2008 के जारी परिणाम दिनांक 26-2-2010 के सम्बन्ध में इस परीक्षा के नियमानुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्तांकों की पुनः गणना (Re-totalling) कराने हेतु निम्नानुसार अवसर प्रदान किया जाता है :-

- 1 उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त अंकों की पुनः गणना (Re-totalling) हेतु सादा कागज पर प्रार्थना पत्र मय वैब से प्राप्तांकों की प्रिन्ट कॉपी के आयोग के सचिव को पुनःगणना कराये जाने वाले विषयों की सूचना के साथ रु. 10 का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न करते हुए विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 20 दिवस में (दिनांक 25-3-2010 तक) प्रस्तुत किया जा सकता है ।
- 2 दिनांक 25-03-2010 के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
- 3 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण (Re-valuation) किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा ।

उप सचिव